प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01780/2025-2026 दिनांक 17/12/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/GOR/15032/2025-2026 पत्रावली संख्या:G-56473 दिनांक:2015-2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सर्वहित सेवा संस्थान, बेलघाट तहसील- खजनी जनपद- गोरखपुर, गोरखपुर , 273404** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 591/2015-2016 दिनांक-13/08/2015 को दिनांक-13/08/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Bhupendra Kumar Singh)
4FF4837637375D21EF38126F4D9CAC877F2D85E3
Date: 17/12/2025 12:58:04 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-17/12/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

सर्वहित सेवा संस्थान
अध्यक्ष

सर्वहित सेवा संस्थान
कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 2163 पत्रावली संख्या– जी– 56473 दिनांक : 13/08/15

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण – पत्र

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अधीन)

संख्या– 591 / 2015–2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सर्वहित सेवा संस्थान

बेलघाट, तहसील– खजनी, जनपद– गोरखपुर, उ० प्र०।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र	12.08.2020	तक विधिमान्य होगा।
आज दिनांक	13.08.2015	को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

13/8/15

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

Scanned with AnyScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 736552

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 736553

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
मिर्जापुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

स्मृति–पत्र

1–	संस्था का नाम	–	सर्वहित सेवा संस्थान
2–	संस्था का पता	–	बेलघाट, तहसील खजनी, गोरखपुर (उ0प्र0)
3–	संस्था का कार्य क्षेत्र	–	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4–	संस्था का उद्देश्य	–	सामाजिक / शैक्षणिक कार्य

1–सामाजिक विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना

2–प्राइमरी से उच्च स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करना

1– प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हिन्दी, अग्रेजी, विज्ञान की शिक्षा प्राईमरी जू0हाई0स्कूल, हाईस्कूल इण्टर, एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्धन करना, विशेषकर ग्रामीण इलाको मे कन्या विद्यालयों / महाविद्यालयो की स्थापना करना एवं अविकसित विद्यालयों की प्रगति के लिए प्रयास करना।

शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालिकाओं को सचरित्र नागरिक बनानाव संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओ हेतु आई0सी0एस0सी0 / सी0बी0एस0सी0 बोर्ड / यू0पी0 बोर्ड के पैट्र्न पर अंग्रेजी / हिन्दीं माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।

3– समाज के अल्पसंख्यक पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामन्य वर्ग की बालक / बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे–कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0टी0पी0 सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना एवं उने संचालन की व्यवस्था करना।

4– खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरधा, हस्तशिल्प कला, चमड़ा उद्योग, रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्वलएवं बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और

कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ ... गोरखपुर

रविन्द्र प्रताप सिंह
नीलम
Amit Kd Singh
अनुराग सिंह
रागिनी सिंह
प्रेम बालिका सिंह
सत्येन्द्र प्रताप सिंह
संदीप शाही
प्रेमलता सिंह
प्रियंका

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

Scanned with AnyScanner

ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना व तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।

5– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली सिवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाईके कार्य मे सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना।

6– समस्त विश्व को एक सूत्र मे पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगो को शिक्षा स्वास्थ्य के बारे मे निःशुल्क ज्ञान करवाना।

7– समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना व चलचित्र द्वारा लोंगों को शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

8– संस्थान के प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या का स्वतः समाधान कर करें।

9– शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगो हेतु कल्याणकारी कार्यो को सम्पादन करना तथा इन लोगो के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना।

10– समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरितियों के खिलाफ समाज को जागरूक करने के लिए कैसेट, होल्डिंग, पोस्टर के माध्यमों के जरिये समाज मे अंधविश्वास के प्रति जागरूकता पैदा करना।

11– विकलांग बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शिक्षण योजनाएं संचालित करना व निःशुल्क कृतिक अंग प्रदान करना।

12– संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसुचित जानजाति, अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके उत्थान के लिए कार्य करना व शिशु से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना एवं

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

आवश्यकतानुसार विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी विद्यालयों की स्थापना करना एवं उकनी व्यवस्था करना।

13– कृषि विकास हेतु कृषि से संबंधित पाठ्क्रमों का प्रचार प्रसार करना, आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध के क्षेत्र मे जानकारी देना।

14– औषधि कार्यो के लिए जुड़ी–बुटियों, जैविक खेती के बारे मे लोगो को जानकारी देना व जैविका खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविका खेती एवं ग्रामीण बेराजगार नवयूवको को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, मैन्थामिन्ट (पिपरमिन्ट) की खेती के लिए लोगो को प्रेरित करना।

15– परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमो को गावों मे व्यापक स्तर निःशुल्क संचालित करना टीकाकरण, जैसे पल्स पोलियों, हैपोटाइटिस, फाइलेरिया, मेलेरिया, क्षय रोग, एड्स, कैंसर, टी0वी0, कुछ क्षेत्रीय बीमारियों जैसे इन्सेफलाइटिस, डेगू, चिकेनगुनिया इत्यादि के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुक्ल चिकित्सालयो की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुक्ल चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना, व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन–साधारण को जानकारी मुहैया कराना।

16– कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दहलन बोर्ड के कार्यो व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्वतियो का प्रचार व प्रसार करना।

17– समाज के लिए व्याप्त छूआछूत, उॅच–नीच जाति धर्म की विषमता की निर्मूल समाप्त करने के व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारो की जानकारी देना।

रमनजा प्रजापति
सत्यवन्त प्रताप
शिवेन्द्र प्रताप सिंह
गोलक
Ankit Singh
प्रेम बालिका सिंह
संदीप शाही
प्रियंका शाही
राकेश
अनुराग सिंह
प्रेमलता

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

18– शराब व मादक पदार्थ का नशा करने वालो की लत छुड़ाने के लिएसरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।

19– पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हेतु प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।

20– अस्वस्थ वातावरण मे रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

21– सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओ की जानकारी करवाना एवं उनका क्रियान्ववयन करना ।

22– जल संरक्षण, जल संचयन, जलचव व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रचार। एव जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रो की स्थापना करना।

23– नदियों के गन्दे नालो तथा कचरे को जाने से राकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागो की अनुमति से करना छोटे पोखरे एवं तालाबो के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।

24– दैवी आपदा बाढ़, भूकम्प, सूखा, हैज़ा, प्लेग, जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों मे शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

25– संस्था के माध्यम से सरकार से अनुमति लेकर विद्यालय, तकनीकी विद्यालय व महाविद्यालयो की स्थापना करना।

26– जानवरो के चारागाह हेतु सरकार की अनुमति से नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ताकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर
सत्यमेव जयते

शिवेन्द्र प्रताप सिंह
नीलम
Amrit Singh
संदीप शाही
प्रियंका शाही
प्रेम लता शाही
प्रेम बालिका शाही
राकेश
अनुराग सिंह
संतोष प्रताप
रामजा प्रजापति

Scanned with AnyScanner

27– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, यूवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, यूवा कल्याएण एवं भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारो और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओ की जानकारी देना एवं उनका क्रियान्वयन करना।

28– सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, म्यूजिक, नाट्य के कार्यक्रमों की निःशुल्क जानकारी देना।

29– निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओ के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना।

30– खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवो एवं शहरों मे अभिरूचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाडियों को प्रोत्साहित व पुरष्कृत करना।

31– सीमा क्षेत्र के इलाको के विकास के लिए कार्य करना, वैकल्पिक उर्जा के बारे मे जानकारी देने का प्रयास करना।

32– दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियो को दूर करने का प्रयास करना।

33– बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनीसेफ, आई0एल0ओ0, यूनोडो, सिडवी, नवाड, कपार्ट, यूनीफेम, एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं समाजिक संस्था के माध्य से जानकारी प्राप्त कर कंधा से कंधा मिलाकर योजनाओ का प्रचार व प्रसार करना एवं मानव संसांधन मत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।

34– फूलो एवं फलो की खेती तथा बागवानी बोर्ड से सम्बन्धित जानकारी जनमानत तक पहुचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।

35– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना एवं विज्ञान भवनो का स्थापना करना।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह
नीलम
Ankit Singh
अनुराग सिंह
राकेश
प्रेम कालिका सिंह
प्रियंका
सत्यवन्त प्रताप
संदीप शाही
रामनजन प्रजापति
[illegible] शाही

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

36– विकालागो के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना विद्यालयो, आश्रम पद्धि, विद्यालय व आवासिय/अनावासिय विद्यालयो व शोध संस्थानो की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

37– आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कंम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्वाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ–डिपेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो, रात्रि निवास, शार्ट–स्टे–होम, मूक बाधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

38– बालिकओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवयिो को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित मात, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा दहेज पीडित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियो की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना।

39– प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामग्रियो का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्वति विकसित करना।

40– स्वयं सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की स्व0 रोजगार परक योजनाओ म सहायता, सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवको व नवयुवतियो को रोजगार की जानकारी प्रदान करना।

41– वन–सम्पदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणी गुणों के बारे मे जानकारी देना।

42– समाज के सभी वर्गो व लिंग को अध्यात्मिक, सामाजिक, व शिष्टाचार का ज्ञान प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना व इसका प्रचार प्रसार करना।

43– गौशाला खोलवाकर, पशुपक्षियों की सेवा करना तथा अवैधानिक तरीके से पशुपक्षियों का शिकार करने वालो पर रोक लगवाना।

सत्यवन्त प्रताप
त्रिवेन्द्र प्रताप सिंह
तिलक
Ankit Singh
संदीप शाही
रामनन्द प्रजापति
प्रियंका शाही
प्रेम बालिका सिंह
राकेश

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

44– प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बनाने के लिए प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना।

45– विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अकुशल कारीगरो को कुशल कारीगरो मे परिर्वतित करना, कुटीर उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी को समाप्त करना।

46– उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को करना।

47– राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

5– **प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:–**

	क्र0सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
शिवेन्द्र प्रताप सिंह	1.	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	अध्यक्ष	इंजीनियर
नीलम	2.	श्रीमती नीलम सिंह पत्नी रवि प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	उपाध्यक्ष	गृहणी
Ankit Singh	3.	श्री अंकित सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	सचिव / मंत्री	कृषि
अनुराग सिंह	4.	श्री अनुराग सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
राकेश	5.	श्री राकेश सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट सोनबरसा, जिला गोरखपुर	सदस्य	कृषि
बालिका	6.	श्रीमती बालिका सिंह पत्नी राकेश सिंह	ग्राम व पोस्ट सोनबरसा, जिला गोरखपुर	सदस्य	कृषि
प्रेमलता शाही	7.	श्रीमती प्रेमलता शाही पत्नी बालेन्दर शाही	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	सदस्य	कृषि
प्रियंका शाही	8.	श्रीमती प्रियंका शाही पुत्री बालेन्दर शाही	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	सदस्य	कृषि
संदीप	9.	श्री संदीप शाही पुत्र बालेन्दर शाही	ग्राम व पोस्ट बेलघाट, खजनी गोरखपुर	सदस्य	कृषि
सत्यवन्त प्रताप	10.	श्री सत्यवन्त प्रताप सिंह पुत्र स्व0 सिंहासन सिंह	ग्राम विधनापार पोस्ट बेलघाट जिला गोरखपुर	सदस्य	कृषि
रामनजर प्रजापति	11.	श्री रामनज़र प्रजापति पुत्र स्व0 हरिवंश प्रजापति	ग्राम छितौनी भीम पोस्ट बेलघाट जिला गोरखपुर	सदस्य	कृषि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

6– हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था की उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैः–

1– शिवेन्द्र प्रताप सिंह 2– जीवन सिंह 3– अंकित सिंह

4– अनुराग सिंह 5– राकेश सिंह 6– प्रेम बालिका सिंह

7– प्रेमलता शाही 8– प्रियंका शाही 9– संदीप शाही

10– राजवन्त सिंह 11– रामनाथ प्रजापति

दि० 15/7/15

सत्य – प्रतिलिपि
9.7.17
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्राप्तांक .....
निर्गत कर्ता .....
07-2-17

Scanned with AnyScanner

नियमावली

1– संस्था का नाम – सर्वहित सेवा संस्थान

2– संस्था का पता – बेलघाट, तहसील खजनी, गोरखपुर (उ०प्र०)

3– संस्था का कार्य क्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

(अ) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 1001/– रूपये नगद या उतने से अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से देने के साथ ही संस्था के विकास मे विशेष योगदान देता हो, वह आजीवन सदस्य होगा।

(ब) सामान्य सदस्य – जो व्यक्ति संस्था के उदेश्यों में आस्था रखने के साथ–साथ संस्था को 101/– रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा वह व्यक्ति संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

(स) संरक्षक सदस्य – प्रबंध समिति समाज के प्रतिष्ठित तथा विभिन्न क्षेत्रों के नामी गिरामी हस्तियों को संरक्षक के रूप में नामित कर सकती है जिनसे संस्था के कार्य एवं प्रतिष्ठा को बल मिलने की संभावना हो यह सदस्य अपना योगदान निःस्वार्थ भाव से देगे। संरक्षक सदस्य एक वर्ष के लिए होगे। इनका कार्यकाल प्रबंध समिति द्वारा बढाया जा सकता है।

5– सदस्यता की समाप्ति –

1– मृत्यु हो जाने पर अथवा सदस्यता अवधि की समाप्ति पर

2– पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

3– संस्था के उदेश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

4– न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

5– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6– नियमित रूप से सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह Ankit Singh सत्यवन्त प्रताप सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

6– संस्था के अंग
1– साधारण सभा
2– प्रबंधनकारिणी समिति

7– साधारण सभा

(अ) गठन – साधारण सभा का गठन, आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य, संरक्षक सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा।

(ब) बैठकें – साधारण सभा की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी।

(य) वार्षिक अधिवेशन की तिथि–
साधारण सभा वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति में 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा निश्चित की जाएगी।

(र) साधारण सभा के कर्त्तव्य एवं अधिकार–
1– प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।
2– संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4– संस्था की नीतियों का निर्धारण करना।
5– संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से करना।

कार्यालय सहायक निबन्धक क्षेत्रीय ... सत्यमेव जयते ... गोरखपुर

8– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

(अ) गठन – साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्ध समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष –~~प्रथम व द्वितीय~~, कोषाध्यक्ष एक, सचिव/प्रबंधक–एक, ~~उपसचिव–एक~~, ~~प्रबंधक प्रथम व द्वितीय~~, कुल संख्या–07 [illegible] ॥

(ब) बैठकें – प्रबंध कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार

शिकेन्द्र प्रताप सिंह Anjit Singh [illegible] प्रताप सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि — प्रबंध कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्य व पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी।

(द) गणपूर्ति — प्रबंध कार्यकारिणी समिति की कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई उपस्थिति आवश्यक होगा।

(य) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं दायित्वः—

1— संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

2— संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना।

3— संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4— अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान या उपहार प्राप्त करना।

5— प्रान्तीय/केन्द्रीय सरकार, संस्था, एजेन्सियों तथा बैंकों द्वारा कार्यक्रमों के संचालन हेतु ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना।

6— विशेषज्ञों, बुद्विजीवियों से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।

7— केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, अन्य सभी मंत्रालय व विभाग, समाजसेवी संस्थाओं से दान, ऋण, अनुदान प्राप्त करना।

(र) कार्यकाल -- प्रबंध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

9— प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य—

(1) अध्यक्ष

1— सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2— बैठकों के दिनांको का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना व बैठको को स्थगित करना।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह Ankit Singh भगवन्त प्रताप सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

3– समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

(2) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं दायित्वो का सम्पादन करना

(3) सचिव

1– संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

2– बैठक मे शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

3– पिछली कार्यवाही को बैठक में पढकर सुनाना व लिपिबद्ध करना।

4– सदस्यों एवं पदाधिकारियों को बैठक की सूचना देना।

5– सदस्यों एवं कर्मचारियों की सदस्यता देना, नियुक्ति व पदोन्नति, सेवामुक्ति आदि करना।

6– ब्लाक, तहसील, जनपद, मण्डल, देश, प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक ढांचा तैयार करना।

7– सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।

8– लेखों एवं विलेखों पर हस्ताक्षर करना।

9– बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

10– पक्ष–विपक्ष के मुकदमें की पैरवी करना।

11– वार्षिक बजट तैयार करना व प्रबंध कार्यकारिणी समिति से उसे स्वीकृत करना।

12– आकस्मिक व्यय हेतु स्वीकृति देना।

13– संस्था के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

14– संस्था की चल एव अचल सम्पत्ति की सुरक्षा, देख–रेख करना।

15– संस्था के हित मे अनुदान, नगद या सम्पत्ति के रूप मे प्राप्त करना। चल अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय करना।

16– संस्था के विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक समस्त कार्य करना।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक समितियाँ ... गोरखपुर

शिवेन्द्र प्रताप सिंह Ankit Singh सत्यव्रत प्रताप सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फ.सं. सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

(4) कोषाध्यक्ष

1– संस्था के समस्त कोषों का लेखा रखना तथा आवश्यक व्यवस्था करना।

2– सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का नियमानुसार भुगतान करना।

(5) सदस्यगण

1– संस्था का कार्य मे सक्रिय भूमिका निभाना।

2– संस्था के पदाधिकारीगण के निर्देष का पालन करना।

3– संस्था का ढांचा मजबूत करने में सक्रिय योगदान देना।

4– समय–समय पर अपना सुझाव सचिव के माध्यम से कार्यकारिणी व साधारण सभा मे प्रस्तुत करना।

5– संस्था के कार्य योजना को सफल बनाने मे सक्रिय भुमिका निभाना।

10– <u>संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–</u>

– संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, एवं परिवर्धन संबंधी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों एव पदाधिकारियों के बहुमत से करना।

11– <u>संस्था का कोष</u> संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस मे संस्था के नामा खाता खोलकर जमा किया जाएगा, जिसका आहरण अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में से कोई दो व्यक्ति के संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

12– <u>संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)–</u>

– संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष प्रबंध कार्य समिति द्वारा नियुक्त आडिटर या आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जाएगा।

शिवेन्द्र प्रताप सिंह   Anjali Si   सत्यवत प्रताप सिंह

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

Scanned with AnyScanner

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAUAS1282P

नाम / Name
SARVHIT SEVA SANSTHAN

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
13/08/2015

05092017

Scanned with AnyScanner